

कार्यालय उ० प्र०, लोक सेवा आयोग,  
संख्या- 1 (1)/26/सी-3/2018-19  
प्रयागराज : दिनांक : 20 जुलाई, 2019

### प्रेस-विज्ञप्ति

उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) प्रारम्भिक परीक्षा- 2018, जो आयोग द्वारा दिनांक- 16-12-2018 को आयोजित की गयी थी, में कुल 64691 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। उक्त अभ्यर्थियों में से कुल 38209 अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा में उपस्थित हुए। प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम दिनांक- 05 जनवरी, 2019 को आयोग द्वारा घोषित किया गया, जिसमें कुल 6041 अभ्यर्थी आयोग द्वारा सफल घोषित किये गये थे। उक्त घोषित परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा मुख्य/लिखित परीक्षा दिनांक- 30, 31 जनवरी एवं 01 फरवरी, 2019 को प्रयागराज एवं लखनऊ जनपद के केन्द्रों पर आयोजित की गयी। मुख्य/लिखित परीक्षा में कुल 5795 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। मुख्य/लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक- 13 जून, 2019 को घोषित किया गया, जिसमें 1847 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया गया। साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक- 21 जून, 2019 से 17 जुलाई, 2019 के मध्य सम्पन्न हुआ, जिसमें 1823 अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा 24 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

2- प्रश्नगत् परीक्षा में कुल 610 रिक्तियों के सापेक्ष 610 अभ्यर्थी सफल/चयनित हुए हैं, जिनमें अनारक्षित श्रेणी की 306 रिक्तियों के सापेक्ष 306 अभ्यर्थियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की 164 रिक्तियों के सापेक्ष 164 अभ्यर्थियों को, अनुसूचित जाति श्रेणी की 128 रिक्तियों के सापेक्ष 128 अभ्यर्थियों को तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी की 12 रिक्तियों के सापेक्ष 12 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत दिव्यांग पी०बी० श्रेणी की 01 रिक्ति तथा पी०डी० श्रेणी की 07 रिक्तियों के सापेक्ष कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण काल्पनिक रूप से अग्रणीत किये जाने की संस्तुति की गयी है। परीक्षा परिणाम सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है तथा आयोग की वेबसाइट [http:// uppsc. up. nic.in](http://uppsc.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

3- प्रश्नगत परीक्षा के आधार पर अन्तिम रूप से सफल घोषित जिन अभ्यर्थियों के सम्मुख प्रोविजनल (Prov) अंकित है उनसे यह अपेक्षा है कि वे साक्षात्कार परिषद द्वारा दिये गये समय के अन्दर वॉछित अभिलेख अवश्य प्रस्तुत कर दें अन्यथा उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

4- प्रश्नगत परीक्षा परिणाम दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या- 9096/2013 भारत संघ बनाम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 08 अक्टूबर, 2013 के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन है।

5- प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार कट ऑफ अंक की सूचनायें शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेंगी। इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(जगदीश)  
सचिव।